

मुकदमों का विवरण

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम

श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर

(2011 की सिविल अपील No.2045) 10 अक्टूबर, 2023

[अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह का विघटन होना चाहिए, जबकि ऐसा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए आधार नहीं है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 -एस. 13 (1) (आई. ए.) और एस.13(1)(ib)-जिला न्यायालय ने तलाक की डिक्री को मंजूरी दे दी, जैसा कि अपीलकर्ता-पति द्वारा अनुरोध किया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इसे उलट दिया और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्णय को स्वीकार कर लिया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: अपीलार्थी-पति यह साबित करने में विफल रहा था कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी के साथ "क्रूरता" का व्यवहार किया था या यह कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को "छोड़ दिया था" जैसा कि एस में विचार किया गया था। 13(1)(आई. ए.) और एस.13(1)((ख) क्रमशः उक्त अधिनियम के संबंध में-इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पक्षकार पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं और उन्हें एक साथ लाने के लिए सभी प्रभावी प्रयास विफल हो गए हैं-न्यायालय प्रक्रिया के साथ-साथ मूल कानूनों से अलग हो सकता है, और अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। पक्षकारों के परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करके पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करने के लिए, हालांकि, इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए-यदि विवाह की संस्था एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है-इसलिए, "विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने" के सूत्र को स्वीकार करना वांछनीय नहीं होगा।

832

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर 834

अपीलार्थी-पति की आयु लगभग 89 वर्ष है और प्रत्यर्थी-पत्नी की आयु लगभग 82 वर्ष है-प्रत्यर्थी ने अपने पूरे जीवन में 1963 से पवित्र संबंध बनाए रखा है और इन सभी वर्षों में अपने तीन बच्चों की देखभाल की है, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी-पति ने उनके प्रति पूर्ण शत्रुता का प्रदर्शन किया था-प्रत्यर्थी अभी भी अपने पति की देखभाल करने के लिए तैयार है और उसे जीवन के इस चरण में अकेला नहीं छोड़ना चाहता है-उसने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया है कि वह "तलाकशुदा"

महिला होने के कलंक के साथ मरना नहीं चाहती है-अदालत की राय है कि अपीलार्थी के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत पक्षों के बीच विवाह को इस आधार पर भंग कर दिया गया है कि विवाह ने अपने पति की देखभाल करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं है। [पारस 14,15,17,18,19]

हिंदू विवाह अधिनियम, **1955**-क्रूरता-व्याख्या:

आयोजित किया गया: "क्रूरता" शब्द की व्याख्या यह है कि इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए समझा और व्याख्या की जानी चाहिए कि पक्ष किस प्रकार के जीवन के आदी हैं; या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों और उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वे महत्व देते हैं-प्रत्येक मामले को अपने गुणों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। [पैरा 10]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 544 -

पीछा किया। नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) 4 एससीसी 558: [2006] 3 एससीआर 53;

बिपिन चंद्र जयसिंह बाई शाह बनाम प्रभावती ए. आई. आर 1957 एस. सी. 176: [1956] एस. सी. आर. 838; लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा एयर 1964 एस. सी. 40: [1964] एस. सी. आर. 331; देवानंद तमुली बनाम काकुमोनी कटकी (2022)

5 एस. सी. सी. 459-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: 2011 का नागरिक आवेदन NO.2045।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

2000 के एफ. ए. ओ. सं. 44 में 2001 के एल. पी. ए. No.195 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

विपिन गोगिया, सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री मधुरिमा तातिया, राजेंद्र मल तातिया, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. “क्या विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह का विघटन होना चाहिए, जबकि ऐसा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक का आधार नहीं है?” - यह हमारे सामने उठाया गया सवाल है।

2. अपीलार्थी एक योग्य चिकित्सक है, और वायु सेना कार्यालय में नियुक्त किया गया था। वह 30.04.1990 पर विंग कमांडर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। प्रत्यर्थी एक योग्य शिक्षक भी है, जो एक केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहा था और अब सेवानिवृत्त हो गया है। अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 13 (1) (आई. ए.) और 13 (1) (आई. बी.) में क्रमशः 'क्रूरता' और 'त्याग' नामक दो आधारों पर जिला न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष तलाक की कार्यवाही का नेतृत्व किया था।

3. तत्काल अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में एफ. ए. ओ. सं. 44-एम./2000 में एल. पी. ए. सं. 44-एम./2000 में पारित किए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त एल. पी. ए. को खारिज करते हुए 2000 के एफ. ए. ओ. No.44-M में एकल पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णय और डिक्ली को स्वीकार किया था। 1996 के एच. एम. ए. No.63 में जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ (जिसे इसके बाद जिला न्यायालय के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय और डिक्ली के खिलाफ प्रतिवादी-पत्नी द्वारा उक्त एफ. ए. ओ. संख्या 44-एम./2000 को प्राथमिकता दी गई थी, जिसने उक्त डिक्ली दिनांक 05.02.2000 के माध्यम से अपीलार्थी-पति के नेतृत्व में एच. एम. ए. एफ. आई. को अनुमति दी थी, और उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया था।

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 836

835

4. यह विवादित नहीं है कि दोनों पक्षों ने अमृतसर में 10.03.1963 पर सिख संस्कारों के अनुसार शादी की थी। शादी संपन्न हो गई और उनके तीन बच्चे हुए-दो बेटियाँ-गुरप्रीत कौर और रूपदमन कौर (दोनों अब शादीशुदा हैं), और एक बेटा-कुंवरजीत सिंह पनेसर। अपीलार्थी के मामले के अनुसार, वह भारतीय सेना में सेवारत था और प्रतिवादी अमृतसर के सेंट्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवारत था। जनवरी 1984 तक दोनों पक्षों के बीच संबंध सामान्य थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके संबंधों में कटुता तब विकसित हुई जब अपीलार्थी को जनवरी 1984 में मद्रास में तैनात किया गया था और प्रतिवादी उसके साथ शामिल नहीं हुआ था, और शुरू में अपीलार्थी के माता-पिता के साथ और उसके बाद अपने बेटे के साथ रहना पसंद किया। पक्षकारों द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद, मतभेदों और विवादों का समाधान नहीं किया जा सका, जिसके कारण अंततः अपीलार्थी को जिला न्यायालय में तलाक की कार्यवाही शुरू करनी पड़ी।

5. जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिला न्यायालय ने तलाक की डिक्ली को मंजूरी दे दी, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इसे उलट दिया और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को विवादित आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया।

6. शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष अपने जीवन की देर शाम में हैं, जितना कि अपीलार्थी की आयु लगभग 87 वर्ष और प्रतिवादी की आयु लगभग 82 वर्ष है। पक्षकारों की उम्र पर विचार करते हुए, न्यायालय ने उनसे उम्मीद की थी कि वे एक साथ बैठेंगे और एक सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना का पता लगाएंगे, हालांकि यह विफल रहा, न्यायालय के पास गुण-दोष के आधार पर पक्षकारों के लिए संबंधित विद्वान वकीलों को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन गोगिया ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की सुविचारित डिक्री को उलटने में घोर त्रुटि की थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रतिवादी ने अपीलार्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थी को छोड़ दिया था जैसा कि तलाक याचिका में आरोप लगाया गया था। उनके अनुसार, जब प्रत्यर्थी को मद्रास स्थानांतरित किया गया था, तब अपीलार्थी के साथ शामिल नहीं होना, और उसके बाद अपीलार्थी की देखभाल नहीं करना, हालांकि उसे हृदय की समस्या थी, और बाद में अपीलार्थी के खिलाफ उसकी छवि को खराब करने के लिए वायु सेना के अधिकारियों से शिकायत करना, "क्रूरता" के कार्य थे, जो नवीन कोहली बनाम नीलू के मामले में निर्णय को देखते हुए अपीलार्थी को तलाक की डिक्री का हकदार बनाते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कोहली 1. उन्होंने वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया कि जब से अपीलकर्ता ने जिला न्यायालय में तलाक याचिका का नेतृत्व किया था, तब से पक्षकार अलग रह रहे हैं, और यह कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और तलाक की डिक्री देना चाहिए। इस संबंध में, उन्होंने शिल्पा शैलेश बनाम शिल्पा शैलेश के मामले में संविधान पीठ के हालिया फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

वरुण श्रीनिवासन 2.

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मधुरिमा तातिया ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी एक वृद्ध महिला होने के नाते "तलाकशुदा" के कलंक के साथ मरना नहीं चाहती है। उनके अनुसार, प्रत्यर्थी ने पक्षों के बीच पवित्र संबंध का सम्मान करने के लिए सभी प्रयास किए थे और अभी भी अपने बेटे की सहायता से अपीलकर्ता की देखभाल करने के लिए तैयार है। केवल अलगाव की लंबी अवधि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के समान नहीं हो सकती थी। अंत में उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता क्रूरता या त्याग का कोई आधार बनाने में विफल रहने के कारण, न्यायालय इस संबंध में एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

9. हमने अभिलेख पर साक्ष्य के आलोक में पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर चिंतित विचार और विचार किया है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचारित

कानून के प्रस्ताव के साथ कोई असहमति नहीं हो सकती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत तलाक की डिग्री मांगने के लिए 'क्रूरता' और 'त्याग' के आरोप वैध आधार हैं। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया प्रस्ताव है कि "क्रूरता" एक पक्ष का एक तरीका या आचरण है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। "क्रूरता" मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। नवीन कोहली (ऊपर) मामले में इस अदालत ने "क्रूरता" पर कानून के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है:-

“46. इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा स्पष्ट किए गए कानून के सिद्धांतों को निम्नानुसार दोहराया गया है:

सिराजमोहम्मदखान में

जनमहमदखान बनाम हाफ़ी जुनिसा

1 (2006) 4 एस. सी. सी. 558

2 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 544 837

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

यासिंखान [(1981) 4 एस. सी. सी. 250:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 829] इस न्यायालय ने कहा कि कानूनी क्रूरता की अवधारणा सामाजिक अवधारणा और जीवन स्तर के परिवर्तन और उन्नति के अनुसार बदलती है। हमारी सामाजिक अवधारणाओं की प्रगति के साथ, इस विशेषता ने विधायी मान्यता प्राप्त की है, कि दूसरा विवाह अलग निवास और रखरखाव के लिए एक पर्याप्त आधार है। इसके अलावा, कानूनी क्रूरता स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक हिंसा का उपयोग किया जाए। निरंतर दुर्व्यवहार, वैवाहिक संभोग की समाप्ति, अध्ययन की गई उपेक्षा, पति की ओर से असंवेदनशीलता, और पति की ओर से यह दावा कि पत्नी अनैतिक है, ये सभी कारक हैं जो मानसिक या कानूनी क्रूरता का कारण बनते हैं।

47. शोभा रानी बनाम मधुर रेड्डी [(1988) 1 एस. सी. सी. 105:1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 60] इस न्यायालय के पास क्रूरता की अवधारणा की जांच करने का अवसर था। हिंदू विवाह अधिनियम में "क्रूरता" शब्द की अवहेलना नहीं की गई है। इसका उपयोग वैवाहिक कर्तव्यों या दायित्वों के संबंध में या उनके संबंध में मानव आचरण या व्यवहार के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) में किया गया है। यह एक के आचरण की प्रक्रिया है जो दूसरे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह भौतिक है, तो यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है, तो क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर जीवनसाथी के मन पर इस तरह के व्यवहार के प्रभाव के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए। क्या यह उचित आशंका पैदा करता है कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा, अंततः, आचरण की प्रकृति और शिकायत करने

वाले जीवनसाथी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ शिकायत किया गया आचरण काफी खराब है और अपने आप में गैरकानूनी या अवैध है। फिर दूसरे पति या पत्नी पर पड़ने वाले प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जांच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, क्रूरता स्थापित की जाएगी यदि आचरण स्वयं साबित हो जाता है या स्वीकार किया जाता है। इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, अगर मानवीय संबंधों में सामान्य अर्थों में, जिस कार्य की शिकायत की गई है, उसे अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है। क्रूरता में इरादा एक आवश्यक तत्व नहीं है। पार्टी को इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जानबूझकर या जानबूझकर कोई दुर्यवहार नहीं किया गया है।

838

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

48. कथित क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर सकती है कि पक्ष किस प्रकार के जीवन के आदी हैं या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों और उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को वे महत्व देते हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

49.

50.

51.

52. इस न्यायालय ने सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे [(2002) 2 एस. सी. सी. 73] मामले में कहा कि मानसिक क्रूरता दूसरे पति या पत्नी का आचरण है जो दूसरे के वैवाहिक जीवन में मानसिक उथल-पुथल या भय का कारण बनता है। “क्रूरता, इसलिए, याचिकाकर्ता के साथ इस तरह की क्रूरता के व्यवहार को स्वीकार करती है कि उसके मन में एक उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा। हालाँकि, क्रूरता को पारिवारिक जीवन के सामान्य टूट-फूट से अलग करना होगा। यह याचिकाकर्ता की संवेदनशीलता के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और इसे उस आचरण के आधार पर तय किया जाना चाहिए जो सामान्य रूप से पति या पत्नी के लिए दूसरे के साथ रहना खतरनाक होगा।”

10. “क्रूरता” शब्द की व्याख्या पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का सार यह है कि पक्षकार जिस प्रकार के जीवन के आदी हैं, या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों और उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ और व्याख्या की जानी चाहिए, जिन्हें वे महत्व देते हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

11. इसी तरह, कानून भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की कार्यवाही में "पलायन" क्या कहा जा सकता है। "रेगिस्तान" अभिव्यक्ति न्यायिक जांच के तहत सामने आई थी

यह न्यायालय बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह बनाम प्रभावती **3** में, जिस पर लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना के मामले में फिर से विचार किया गया था।

उर्फ मोटा **4**। इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों में की गई टिप्पणियों को जोड़ते हुए अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया:-

3 ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 176 4 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 40 839

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 840

“उपरोक्त टिप्पणियों को जोड़ते हुए, इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस प्रकार कहा जा सकता है: एक याचिकाकर्ता पर भारी बोझ पड़ता है जो चार आवश्यक शर्तों को साबित करने के लिए त्याग के आधार पर तलाक चाहता है, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य; (2) दुश्मनी; (3) उसकी सहमति का अभाव; और (4) छोड़ने वाले पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए उचित कारण देने वाले उसके आचरण का अभाव।”

12. हाल ही में, देवानंद तमुली बनाम काकुमोनी कटकी **5** मामले में, लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी (ऊपर) के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा

निम्नानुसार:- “7. हमने उनकी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। सबसे पहले, हम पलायन के मुद्दे से निपटते हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी [लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना, (1964) 4 एस. सी. आर. 331 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 40] जिसका इस न्यायालय के कई फैसलों में लगातार पालन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून यह है कि त्याग का अर्थ है एक पति या पत्नी का दूसरे द्वारा दूसरे की सहमति के बिना और बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर त्याग करना। परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव का एक तथ्य है और सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए पति या पत्नी को छोड़ने का इरादा है। दूसरे शब्दों में, छोड़ने वाले पति या पत्नी की ओर से शत्रुता होनी चाहिए। परित्यक्त पति/पत्नी की ओर से सहमति का अभाव होना चाहिए और परित्यक्त पति/पत्नी के आचरण से परित्यक्त पति/पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण नहीं मिलना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को 1976 के अधिनियम 68 द्वारा धारा 13 की उप-धारा (1) में जोड़े गए स्पष्टीकरण में शामिल किया गया है। उक्त व्याख्या इस प्रकार है:

“13. तलाक हो गया।— (1) * * *

स्पष्टीकरण।— इस उप-धारा में, “त्याग” पद का अर्थ है याचिकाकर्ता का दूसरे पक्ष द्वारा उचित कारण के बिना और सहमति के बिना या ऐसे पक्ष की इच्छा के खिलाफ विवाह के लिए त्याग, और

इसमें दूसरे पक्ष द्वारा विवाह के लिए याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक बदलावों और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।”

5 (2022) 5 एससीसी 459

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

“8. पति और पत्नी के बीच विवाद के कारण हमेशा बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक वैवाहिक विवाद दूसरे से अलग होता है। पलायन का मामला स्थापित होता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह साक्ष्य के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालने का मामला है।”

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13 (1) में विचार किए गए "क्रूरता" और "त्याग" के आधारों को साबित करने में विफल रहा था, निचली अदालत द्वारा पारित तलाक के फरमान को उलट दिया था। डिवीजन बेंच ने विवादित आदेश के माध्यम से एकल बेंच द्वारा पारित आदेश को अस्वीकार कर दिया और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:-

“16. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह निर्विवाद है कि पत्नी 21 साल तक बिना किसी शिकायत के पति के साथ रहती रही और उसने तीन बच्चों को जन्म दिया। वह बच्चों की देखभाल करती थी। अलग होने से पहले वर्ष 1984 में एक बेटी की शादी हुई थी। पति द्वारा पहली बार यह शिकायत की गई थी कि जब उन्हें मद्रास स्थानांतरित किया गया था तो पत्नी उनके साथ शामिल नहीं हुई थी। पार्टियों को अमृतसर में बसाया गया और वे 21 साल तक वहाँ रहे जहाँ अपीलार्थी के बच्चे और माता-पिता भी रह रहे थे। पत्नी का मामला यह है कि पति ने अपनी मर्जी से खुद को स्थानांतरित कर लिया। जीवन के इस चरण में जब तीन बड़े बच्चे थे और पत्नी 21 साल से पति के साथ रह रही थी, अगर पति द्वारा एकतरफा निर्णय लिया गया और पत्नी ने अपना विरोध व्यक्त किया, तो क्या यह माना जा सकता है कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया या उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया। हम पहले ही इस विषय पर तय किए गए सिद्धांतों का उल्लेख कर चुके हैं। यदि पत्नी खुद को मद्रास स्थानांतरित करने के लिए सहमत नहीं थी, तो दी गई स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता था कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के स्थायी रूप से सहवास को समाप्त करना चाहती थी। इससे कोई शत्रुता नहीं दिखाई देती थी और न ही यह माना जा सकता था कि पत्नी पति के प्रति क्रूर थी। मामले के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है ताकि लेटर्स पेटेंट के तहत अपील में हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके। तथ्य यह है कि पत्नी ने बच्चों की देखभाल करना और उनकी शादी की व्यवस्था करना जारी रखा। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पति ने पत्नी, जो वैवाहिक घर में रह रही थी, या 841 में शामिल होने के लिए कोई गलती की थी।

किसी भी बच्चे की देखभाल करें। त्याग और क्रूरता को साबित करने के लिए सबूत का भार अपीलार्थी पर है।”

“17. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील Exh.A-8 को संदर्भित करता है, जो भरण-पोषण के लिए पत्नी के अभ्यावेदन के जवाब में पत्नी को संबोधित एक पत्र है। पत्र की सामग्री इस प्रकार है:-

“2. यह सूचित किया जाता है कि हमने परिवार और बच्चों के कल्याण के दीर्घकालिक हित में आप दोनों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करने की पूरी कोशिश की है। तदनुसार, यह पता चला है कि डब्ल्यूजी सीडीआर। एन. एस. पनेसर ने सद्भावना से और हमारी सलाह पर सुलह के लिए हस्ताक्षर किए। लेकिन ऐसा लगता है कि आप बच्चों के हित में भी सुलह करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, इस मुख्यालय के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आप अदालत में अपनी शिकायत, यदि कोई हो, का निवारण करने की सलाह दें। हालाँकि, नैतिक और मानवीय आधारों पर हमने आपके पति को सलाह दी है कि जब तक मामला आपसी संतुष्टि के लिए तय नहीं हो जाता, तब तक Rs.800-p. m. भेजना जारी रखें।” वह Exh.A-17 का भी उल्लेख करता है, जो अपीलार्थी के बेटे द्वारा लिखा गया पत्र है, जिसमें अपीलार्थी को अदालत में पैसे भेजने के लिए कहा गया है।”

“18. अगला विवाद यह है कि गहने पत्नी को नहीं दिए जाने चाहिए। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने सुझाव दिया कि अपीलार्थी की पोती को अपीलार्थी के पास जाना चाहिए, जिस स्थिति में अपीलार्थी को पोती को दिए जाने वाले आभूषणों पर कोई आपत्ति नहीं होगी। पत्नी के विद्वान वकील का कहना है कि पोतियां जितनी बार हो सके अपीलार्थी से मिलेंगी और अपीलार्थी की इच्छा और दृष्टिकोण के आधार पर भी, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखने की शर्त के रूप में नहीं। इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष इस प्रकार है:-

“..... यह गहने को सौंपने का एक अंतिम मामला है जो शादी के समय अपीलार्थी (पत्नी) को दिया गया था और इस प्रकार, मैं प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेक्टर 22, चंडीगढ़ को सभी गहने लॉकर में पड़े अपीलार्थी को सौंपने का निर्देश देता हूँ।

14. उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम कोई अलग दृष्टिकोण रखने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। यह कहना उचित होगा कि अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा था कि प्रतिवादी ने अपीलार्थी के साथ "क्रूरता" का व्यवहार किया था या कि प्रतिवादी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) और 13 (1) (आई. बी.) में यथासंभव "छोड़ दिया" था।

15. यह हमें इस आधार पर तलाक की डिक्री देने के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुति के लिए विज्ञापन देता है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं और उन्हें एक साथ लाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। इन परिस्थितियों में कोई यह मान सकता है कि विवाह भावनात्मक रूप से मृत है और मोक्ष से परे है और दोनों पक्षों के बीच विवाह का एक अपरिवर्तनीय टूटना है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की डिक्री दी जानी चाहिए? 16. हाल ही में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (ऊपर) के मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने और तलाक की डिक्री पारित करने के संबंध में मुद्दे को जोड़ते हुए कहा:-

“41. ऐसा कहने के बाद, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देना अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि एक विवेक है जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने वाले कई कारकों को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों के लिए 'पूर्ण न्याय' किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को पूरी तरह से आश्वस्त और संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मोक्ष से परे है और इसलिए, विवाह का विघटन सही समाधान है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, तथ्यात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे कि विवाह के बाद पक्षों ने कब सहवास किया था; जब पक्षों ने आखिरी बार सहवास किया था; एक-दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति; समय-समय पर कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश, व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव; क्या, और अदालत के हस्तक्षेप से या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए कितने प्रयास किए गए थे, और अंतिम प्रयास कब किया गया था, आदि। अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए, और छह साल या उससे अधिक की कोई भी चीज एक प्रासंगिक कारक होगी। लेकिन इन तथ्यों का मूल्यांकन 843 सहित पक्षों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 844

उनकी शैक्षिक योग्यता, क्या पक्षों के कोई बच्चे हैं, उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, और क्या अन्य पति या पत्नी और बच्चे निर्भर हैं, किस स्थिति में तलाक मांगने वाला पक्ष पति या पत्नी या बच्चों की देखभाल और व्यवस्था करने का इरादा रखता है। नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और कल्याण का प्रश्न, पत्नी के लिए उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ता का प्रावधान, और बच्चों के आर्थिक अधिकार और अन्य लंबित मामले, यदि कोई हों, प्रासंगिक विचार हैं। हम कारकों को संहिताबद्ध नहीं करना चाहेंगे ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को रोका जा

सके, जो कि स्थिति निर्दिष्ट सी है। उल्लिखित कुछ कारकों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, और विचार करने योग्य है।

42-49.....

50. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित तरीके से तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देकर इस संदर्भ का निर्णय लेते हैं:

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र का दायरा और दायरा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के बारे में इस प्रश्न का उत्तर अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ 8 से 13 के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह न्यायालय प्रक्रिया के साथ-साथ मूल कानूनों से अलग हो सकता है, जब तक कि निर्णय का प्रयोग मौलिक सामान्य और विशिष्ट सार्वजनिक नीति के विचारों के आधार पर किया जाता है। विवेकाधिकार का प्रयोग करना है या नहीं, यह निर्णय लेते समय, इस न्यायालय को अधिनियमित मूल प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हालांकि यह न्यायालय परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करके एक समस्या समाधानक के रूप में कार्य करता है। इस शक्ति का प्रयोग किसी 'कारण या पदार्थ' में किया जाना है।

((ख) पहले प्रश्न पर इस पीठ के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और उस पर निर्भर करते हुए, क्या यह न्यायालय, किसी स्थानांतरण याचिका की सुनवाई करते समय, या किसी अन्य कार्यवाही में, पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के साथ पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री दे सकता है, और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

घरेलू हिंसा अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अन्य/संबंधित कार्यवाही को भी रद्द और निपटाया जाए। पी. सी. या मुख्य रूप से धारा 498-ए और आई. पी. सी. के अन्य प्रावधानों के तहत आपराधिक अभियोजन यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो किन मामलों में और किन परिस्थितियों में इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, यह एक सहायक मुद्दा है जिस पर निर्णय लिया जाना है।

पहले प्रश्न पर हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक, अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय को, पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, दूसरा प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता से बाध्य हुए बिना, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करके विवाह को भंग करने का विवेकाधिकार है। अमरदीप सिंह (ऊपर) और अमित कुमार (ऊपर) में बताए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए इस शक्ति का

उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही और आदेशों को रद्द और रद्द कर सकता है।

iii) क्या यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक दे सकता है, जब अन्य पति/पत्नी द्वारा प्रार्थना का विरोध करने के बावजूद विवाह का पूर्ण और अपरिवर्तनीय टूटना होता है?

इस प्रश्न का उत्तर भी सकारात्मक, अन्य बातों के साथ-साथ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसके अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने का विवेकाधिकार है। इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग पक्षकारों को 'पूर्ण न्याय' करने के लिए किया जाना है, जिसमें यह न्यायालय संतुष्ट है कि स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि विवाह पूरी तरह से विफल हो गया है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि पक्षकार एक साथ रहेंगे, और औपचारिक कानूनी संबंध को जारी रखना अनुचित है। न्यायालय, समता के न्यायालय के रूप में, परिस्थितियों और 845 को संतुलित करने के लिए भी आवश्यक है।

डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @अर्जीदर कौर पनेसर [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 846

वह पृष्ठभूमि जिसमें विघटन का विरोध करने वाली पार्टी को रखा गया है।”

17. संविधान पीठ के पूर्व-वर्णित निर्णय को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय प्रक्रिया के साथ-साथ मूल कानूनों से अलग हो सकता है, और पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करके पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, हालांकि, इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसने यह भी निर्धारित किया है कि इस विवेकाधीन शक्ति का उपयोग "पूर्ण न्याय" करने के लिए इसके अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि पति-पत्नी में से एक विवाह के विघटन की प्रार्थना का विरोध करता है।

18. हालांकि, हमारी राय में, किसी को इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि विवाह की संस्था एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून की अदालतों में तलाक की कार्यवाही की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद, विवाह की संस्था को अभी भी भारतीय समाज में पति और पत्नी के बीच एक पवित्र, आध्यात्मिक और अमूल्य भावनात्मक जीवन-जाल माना जाता है। यह न केवल कानून के पत्रों द्वारा बल्कि सामाजिक मानदंडों द्वारा भी शासित होता है। समाज में वैवाहिक संबंधों से कई अन्य संबंध उत्पन्न होते हैं और फलते-फूलते हैं। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की राहत देने के लिए एक स्ट्रेट-जैकेट सूत्र के रूप में "विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने" के सूत्र को स्वीकार करना वांछनीय नहीं होगा।

19. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, जैसा कि पहले कहा गया है, अपीलार्थी-पति की आयु लगभग 89 वर्ष और प्रतिवादी-पत्नी की आयु लगभग 82 वर्ष है। प्रत्यर्थी ने 1963 से अपने पूरे जीवन में पवित्र संबंध बनाए रखा है और इन सभी वर्षों में अपने तीन बच्चों की देखभाल की है, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी-पति ने उनके प्रति पूर्ण शत्रुता का प्रदर्शन किया था। प्रतिवादी अभी भी अपने पति की देखभाल करने के लिए तैयार और इच्छुक है और जीवन के इस चरण में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। उन्होंने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया है कि वह "तलाकशुदा" महिला होने के कलंक के साथ मरना नहीं चाहती हैं। समकालीन समाज में, यह कलंक नहीं हो सकता है, लेकिन यहां हम प्रतिवादी की अपनी भावना से चिंतित हैं। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी पत्नी की भावनाओं पर विचार करते हुए और उनका सम्मान करते हुए, न्यायालय की राय है कि अनुच्छेद 142 के तहत अपीलार्थी के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

पक्षकारों के बीच इस आधार पर विवाह कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, पक्षकारों के साथ "पूर्ण न्याय" नहीं करेगा, बल्कि प्रतिवादी के साथ अन्याय करना होगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

20. इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान